"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2010—कार्तिक 5, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5816/4261/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 37 तथा 73 के सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 70 और 110 के सहपठित धारा 355 तथा 356 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका, (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 13 के खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   (1) यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या महापौर या अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक प्रकरण का निराकरण, प्रकरण के प्राप्त होने की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर किया जाएगा. ऐसी समयावधि के अंदर प्रकरण के निराकरण न होने की दशा में निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

   (क) यदि प्रकरण मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार का है तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा यह मान लिया जाएगा कि प्रकरण जिस रूप में मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के [illegible] प्रस्तुत किया गया था, उसी रूप में अनुमोदित कर लिया गया है और तद्नुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही [illegible] जाएगी.

(ख) यदि प्रकरण महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य के क्षेत्राधिकार का है, तब मुख्य कार्यपालिका अधिकारी उसी रूप में वापस लेगा तथा, यदि प्रकरण मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार में आता है, तब वह यथास्थिति सीधे अपने प्रस्ताव सहित इसे मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करेगा और, यदि निगम या परिषद् के क्षेत्राधिकार में आता है, तब उसे सीधे अपने प्रस्ताव सहित, यथास्थिति, निगम या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्रमांक 5816/4261/18/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5816/4261/18/2010 दिनांक 26-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Raipur, the 26th October 2010

NOTIFICATION

No. 5816/4261/18/2010.—In exercise of the powers conferred under Sections 37 and 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of the Mayor-in-Council/President-in-Council and the Powers and Functions of the Authorities) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules :—

1. For Clause (1) of Rule 13 the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) The Mayor-in-Council or the President-in-Council or the Mayor or the President, as the case may be, shall dispose of every matter within 10 (Ten) days from the date of receipt of the matter. In the event of non-disposal of a matter within such time period, the consequence shall be as follows :—

(a) If the matter belongs to the jurisdiction of the Mayor-in-Council or the President-in-Council, than it shall be deemed by the Chief Executive Officer that the matter as presented before the Mayor-in-Council or the President-in-Council has been approved and shall take further action in the matter accordingly.

(b) If the matter belongs to the jurisdiction of the Mayor or the President or the Member-in-Charge, than the Chief Executive Officer shall receive back the matter as it is and, if the matter belongs to the jurisdiction of the Mayor-in-Council or the President-in-Council, he shall, with his proposal, present it directly before the Mayor-in-Council or the President-in-Council as the case may be, and if it belongs to the jurisdiction of the Corporation or the Council, he shall, with his proposal, present it directly in the Meeting of the Corporation or the Council, as the case may be."

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.